भारत सरकार और मारिशस सरकार के बीच हवाई सेवाओं के सम्बन्ध में करार

भारत सरकार और मारिशस सरकार जिन्हें आगे "सिवदाकारी पक्ष" कहा गया है;

जो 7 दिसम्बर , 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय (जिसे आगे "अभिसमय" कहा गया है) से सम्बन्धित पश्च हैं, ने

अपने अपने भू-भागों के बीच और उनसे परे हवाई सेवाओं की स्थापना के लिए करार करने की इच्छा से,

नीचे लिखी बातों पर सहमत हुए है :-

अनुखेद I

जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अभीष्ट न हो, प्रस्तुत करार के प्रयोजन के लिए :-

- (क) "वैमानिक प्राधिकारी" पद का आशय मारिशस
 के सम्बन्ध में उस मंत्रालय से होगा जिस पर
 उसके नागर विमानन सम्बन्धी कार्य-भार का
 उत्तरदायित्व है और भारत के सम्बन्ध में नागर
 विमानन के महानिदेशक से होगा; तथा इन दोनों
 ही के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय
 से होगा, जिसे उन कार्यों को जो इस समय उक्त
 मंत्रालय अथवा उक्त महानिदेशक के द्वारा किए
 जाते है, करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (ख) "नामित हवाई कम्पनी" पद से आशय रेसी हवाई कम्पनी से है जिसे एक सीवदाकारी पदा के वैमानिक प्राधिकारी प्रस्तुत करार के अनुक्छेद III के अनुसार दूसरे सीवदाकारी पदा के वैमानिक प्राधिकारियों को लिखित सूचना दे कर नामित कर दें।
- (ग) "भू-माग", "इवाई सेवा", "अन्तर्राष्ट्रीय इवाई सेवा" और "यातायात से मिन्न प्रयोजनी

..../2

To see

के लिए स्कना" पदी से आशय वही है जो कि अभिसमय के अनुकोद 2 और 96 में उनके लिए निश्चित क्या गया है।

अनुखेद II

प्रत्येक सिवदाकारी पश्च दूसरे सिवदाकारी पश्च को इस करार में निर्दिष्ट मार्गी पर हवाई सेवार स्थापित करने के लिए (इन्हें इसके आगे "निर्दिष्ट मार्ग" और "सम्मत सेवार" कहा गया है) करार में निर्दिष्ट अधिकार देता है; अनुकेद III के उपबन्धों का पालन हो जाने के बाद किसी मी समय सम्मत सेवार प्रारंभ की जा सकती है।

- 2. प्रस्तुत करार के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सीवदा-कारी पक्ष द्वारा नामित हवाई कम्पनी को निम्निलियित अधिकार होंगे :-
 - (क) बगैर उतरे हुए ही दूसरे सीवदाकारी पदा के भू-भाग से होकर उड़ान कर सकना;
 - (स) यातायात से मिन्न प्रयोजनों के लिए, दूसरे सविदा-कारी एवा के भू-भाग में स्क सकता; और
 - (ग) निर्दिष्ट भाग पर सम्मत सेवा का परिचालन करते समय दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रस्तुत करार के अनुबन्ध में उस मार्ग के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर यात्रियों, माल और डाक के ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय यातायत को उतारने या चढ़ाने के प्रयोजन से, जो पहले वाले संविदाकारी पक्ष के या किसी तोसरे देश के भू-भाग से आ रहा हो या वहां के लिए जा रहा हो, सक सकना ।
- उ. इस अनुस्केद के पैरा 2 में कही गई किसी बात का यह अर्थ नहीं समझा जारगा कि उससे एक सीवदाकारी पक्ष की हवाई कम्पनी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वह दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग में ऐसे यात्री, माल या डाक को चढ़ा सकेगा, जिसे उस दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग में ही किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाना हो ।
- 4. एक सीवदाकारी पद्म के वे कानून, विनियम और अनुदेश जो अन्तर्राष्ट्रीय विमान-चालन के अन्तर्गत परिचालित वायुयान या हवाई सेवाओं

SP

के उसके मू-भाग में प्रवेश करने या वहां से प्रस्थान करने पर अथवा ऐसे वायुयान या हवाई सेवाओं के परिचालन पर उसके भू-भाग में होने के दौरान लागू होते हो, दूसरे सीवदाकारी पक्ष के द्वारा नामित हवाई कम्पनी के वायुयान और सम्मत सेवाओं पर भी लागू होंगे।

अनुखेद III

प्रत्येक संविदाकारी पद्म की यह अधिकार होगा कि वह निर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के परिचालन के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी पद्म को लिखित रूप से एक हवाई कम्पनी नामित कर दे।

- 2. नामन की सूचना मिलने पर सिवदाकारी पश्च अपने वैमानिक प्राधिकारियों के द्वारा इस अनुखेद के पैरा 3 और 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नामित हवाई कम्पनी को अविलम्ब उपयुक्त परिचालन अधिकार दे देगा ।
- उ. एक सिवदाकारी पश्च के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे सिवदाकारी पश्च द्वारा नामित हवाई कय्पनी से इस बात का आश्वासन मांग सकता है कि वह उनके द्वारा वायु-वाहनों और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिभ्यिक हवाई सेवाओं के परिचालन पर सामान्य रूप से लागू किए जाने वाले कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों का पालन करने के लिए सक्षम है !
- 4. यदि कोई सीवदाकारी पढ़ा इस बात से संतुष्ट न हो कि
 नामित हवाई कम्पनी का वास्तिवक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण काफी हद
 तक दूसरे सीवदाकारी पढ़ा अध्वा उसके राष्ट्रिकों में निहित है तो उसको यह
 अधिकार होगा कि वह ऐसी हवाई कम्पनी के नामन को स्वीकार करने से
 इकार कर दे या प्रस्तुत करार के अनुकोद II के पैरा 2 में निर्दिष्ट उन
 अधिकारों की मंजूरी को रोक या प्रतिसहत कर दे अध्वा उन अधिकारों के
 प्रयोग के सम्बन्ध में हवाई कम्पनी पर ऐसी शर्ते लगाए जिन्हें वह आवश्यक
 समझे । इस पैरा के प्रयोजन के लिए "वास्तिवक स्वामित्व तथा प्रभावी
 नियंत्रण" इस पदावित का अर्थ है कि किसी भी मामले में जहाँ नामित
 हवाई कम्पनी इस करार के अन्तर्गत किसी अन्य देश की हवाई कम्पनी अथवा
 किसी अन्य देश की सरकार या राष्ट्रिकों के साथ कोई क्रार करके अपनी

se.

सेवार परिचालित करती है, हवाई कम्पनियों को नामित करने वाले सीवदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिकों का नामित हवाई कम्पनियों पर वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण तब तक नहीं समझा जारगा जब तक कि सीवदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिकों का, नामित हवाई कम्पनियों की परिसम्पत्तियों के रक बड़े भाग पर स्वामित्व के अतिरिक्त,

- (1) नामित इवाई कम्पनियों के प्रवन्ध में प्रमावी नियंत्रण, और
- (ii) सेवाओं के परिचालन में प्रयोग होने वाले हवाई बेड़े एवं उपस्कर के बड़े भाग पर भी स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण न हो ।
- इस प्रकार नामित और अधिकृत की गई हवाई कम्पनी सम्मत सेवाओं का परिचालन किसी भी समय आरम्भ कर सकती है बशर्त कि अनुक्छेद X और XII के उपवधी का पालन किया जा चुका हो ।

अनुकोद IV

प्रत्येक सीवदाकारी पश्च अपने पास यह अधिकार प्रारक्षित
रसता है कि यदि दूसरे सीवदाकारी पश्च द्वारा नामित हवाई कम्पनी ने
पहले पश्च के कानूनो-विनियमों का पालन न किया हो अथवा पहले पश्च की
समझ में उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया हो जिनके अधीन प्रस्तुत करार के
अनुसार अधिकार दिये गर हैं तो वह परिचालन - अधिकार को प्रतिसहृत कर
सकेगा या उस पर रेसी उचित शर्तें लगा सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे ।
यदि अनुक्छेद III के पैरा 4 के उपबन्धों का पालन न किया गया हो तब
भी रेसा ही किया जारगा । जब तक कि नियमों, विनियमों अथवा प्रस्तुत
करार के उपबन्धों के इससे और आगे अतिलयन को रोकने की दृष्टि से शर्तों
का तुरन्त निलंबन या लगाया जाना आवश्यक न समझा जार तब तक इस
प्रकार की कार्यवाही प्रस्तुत करार के अनुक्छेद XIV के अनुसार सीवदाकारी
पश्चों के बीच परस्पर सलाह मश्चिता कर के ही की जारगी ।

अनुकेंद ४

कोई सीवदाकारी पत्र अपने भू-भाग में दूसरे सीवदाकारी पत्र

sp.

द्वारा नामित इवाई कम्पनी द्वारा इवाई अड्डो तथा दूसरी विमानन-सुविषाओं के उपयोग के लिए उन प्रभारों से अधिक प्रभार न लेगा जो उसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय इवाई सेवाओं में लगी उसकी राष्ट्रीय इवाई कम्पनियों द्वारा चुकाए जाते हों।

अनुरहेद VI

करार करने वाले एक पक्ष की नामित हवाई कम्पनी के वायुयान में जो ईचन, मशीनी तेल, फालतू पुर्जे, सामान्य उपस्कर और वायुयान की सामग्री अपने साथ रखनी या लगानी पड़े और जो सिर्फ ऐसे वायुयान के उपयोग के लिए ही हो, और जो उक्त भू-भाग के अतिम हवाई अड्डे से रवाना होने तक वायुयान में ही रहे, उसके सीमा शुल्क, निरीक्षण भीस और ऐसे ही अन्य प्रभारों के विषय में दूसरे पक्ष द्वारा किया गया व्यवहार कम से कम उतना ही अनुग्रहपूर्ण होगा जितना कि वह अनुसूचित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं का परिचालन कर रही राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों अथवा अपने परम मित्र राष्ट्र की हवाई कम्पनी के साथ करता है।

शर्त यह है कि करार करने वाला कोई भी पश्च करार करने वाले दूसरे पश्च की नामित हवाई कथानी को सीमाशुल्क, निरीक्षण फ़ीस या इसी प्रकार के अन्य प्रभारों में छूट या परिहार देने के लिए तब तक बाध्य न होगा जब तक कि करार करने वाला दूसरा पश्च भी करार करने वाले पहले पश्च की नामित हवाई कथ्पनी को ऐसे प्रभारों में छूट या परिहार न दे दे ।

अनुक्छेद VII

प्रत्येक सर्विदाकारी पश्च की नामित हवाई कम्पनी को दोनों पक्षों के भू-भागों के बीच और उनसे परे अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के परिचालन के लिए सर्वथा न्याय्य एवं समान अधिकार प्राप्त होंगे ।

अनुकोद VIII

दोनों में से किसी भी सीवदाकारी पश्च की नामित हवाई कम्पनी की सम्मत हवाई सेवाओं के परिचातन में दूसरे पश्च की नामित

- 30

हवाई कम्पनी के हितों को ध्यान में रसा जारणा ताकि दूसरा पक्ष उसी मार्ग के समस्त अध्यवा आधिक मार्ग पर जो सेवार खुलभ कराता है उन पर कोई अनुचित प्रभाव न पड़े !

अनुखेद IX

वहनक्षतता, फेरों की संख्या और हवाई सेवा का स्वरूप, अर्थात् वह दूसरे सीवदाकारी पक्ष के भूभाग से गुजरने वाली है अथवा वहां समाप्त होने वाली है इत्यादि बातों का निश्चय नामित हवाई कम्पनियों द्वारा अनुक्छेद VII और VIII में निर्दिष्ट सिद्धान्तों और इस अनुक्छेद के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा । इस प्रकार के निश्चय पर दोनों सीवदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

- 2. यदि किसी सीवदाकारी पश्च द्वारा नामित हवाई कम्पनी अपनी वहनश्वमता या फेरों की संख्या में वृद्धि करना चाहे तो उसका निश्चय पहले नामित
 हवाई कम्पनियां आपस में कर लेगी और इस पर वैमानिक प्राधिकारियों का
 अनुमोदन आवश्यक होगा । वैमानिक प्राधिकारी इसका अनुमोदन सीवदाकारी
 पश्चों के भू-मागों के बीच यातायात की अनुमानित आवश्यकताओं और सीम्मीलत
 रूप से सम्भत और निश्चित अन्य यातायात के आधार पर करेंगे । जब तक
 इस प्रकार का करार या समझौता न हो जाए तब तक वहन-श्वमता और फेरों
 की संख्या के वर्तमान अधिकार ही प्रभावी रहेंगे ।
- 3. यदि किसी ऐसे विषय पर सविदाकारी पर्दों की नामित हवाई क्यानियां सहमत न हो पाएं जिस पर इस अनुक्छेद के उपबन्धों के अन्तर्गत उनकी सहमति आवश्यक हो, तो सविदाकारी पर्दों के वैमानिक प्राधिकारी उस विषय में सहमत होने का प्रयत्न करेंगे।
- 4. वहन-समता, फेरों की संख्या और हवाई सेवा का स्वरूप
 अर्थात् वह दूसरी सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग से गुजरने वाली है अथवा वहां
 समाप्त होने वाली है इत्यादि जिन बातों पर परस्पर निश्चय इस अनुखेद के
 उपबन्धों के अनुसार किया जारगा उनका निर्देश सीवदाकारी पढ़ों के बीच होने
 वाले पत्र-विनिमय में किया जारगा।

S

अनुकेद X

प्रत्येक सीवदाकारी पश्च अपनी नामित हवाई कमानी से दूसरे सीवदाकारी पश्च के वैमानिक प्राधिकारियों को सेवा के प्रकार, उपयोग किए जाने वाले वायुयान के प्रकार, उड़ानों की अनुसूचियों, टैरिफ़ अनुसूचियों और सम्मत सेवाओं के परिचालन से सम्बन्धित अन्य समी संगत सूचनाओं को जिनमें ऐसो समी सूचनाएं शामिल होगी जो कि वैमानिक प्राधिकारियों को इस बात की तसल्ली कराने के लिए आवश्यक हों कि प्रस्तुत करार की शर्तों का यथोचित पालन हो रहा है यथासम्मव जितना पहते हो सके मिजवारणा । सम्मत सेवाओं से सम्बन्धित किसी भी परिवर्तन पर इस अनुक्छेद की शर्ते इसी प्रकार लागू होगी ।

अनुखेद XI

प्रत्येक संविदाकारी पश्च के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे सीवदाकारी पश्च के वैमानिक प्राधिकारियों को अपनी हवाई सेवाओं द्वारा प्रत्येक मास में दूसरे सीवदाकारी पश्च के भू-भाग को या भू-भाग से या भू-भाग से होकर ले जार गर यातायात सम्बन्धी आंकड़े मेजेगा जिनमें रवाना होने और पहुँचने के देशों तथा रेसे यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थानों से सम्बन्धित आंकड़े रहेंगे । रेसे आंकड़े यथा सम्भव शीम भेज दिर जारंगे ।

अनुकेद XII

सम्मत सेवाओं के लिए टैरिफ युक्तिसंगत स्तर पर निश्चित किए जाएंगें और ऐसा करते समय सभी संगत बातों का ध्यान रखा जाएगा जिन में परिचालन का व्यय, उचित लाभ, सेवा की विशेषताएं (जैसे गीत और स्थान के मान) और निर्दिष्ट मार्ग के किसी भाग पर अन्य इवाई कम्पनियों के टैरिफ आदि शामिल है । ये टैरिफ इस अनुकेद के निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार निश्चित किए जाएंगे।

2. निर्दिष्ट मार्गी में से प्रत्येक के सम्बन्ध में, इस अनुरहेद के पैरा 1 में निर्दिष्ट टैरिफ और उनके साथ प्रयुक्त एजेंसी की दरें, यदि सम्भव हो, सम्बन्धित नानित हवाई कम्पनियों के बीच सहमति द्वारा तय की जाएंगी

\$0

और वे यथा सम्भव अन्तर्राष्ट्रीय विश्रान परिवहन संस्था के दर निर्धारक अभिकरण द्वारा निर्धारित की जारंगी । इस प्रकार तय किए गए टैरिक्सें के लिए दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

- उ. यदि नामित हवाई कम्पनिया टैरिफो में से किसी पर सहमत न हो सके या किसी कारण से किसी टैरिफ पर इस अनुस्टेद के पैरा 2 के उपबन्धों के अनुसार सहमत न हो सके तो सीवदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी आपस में सहमति के द्वारा टैरिफ निश्चित करने का प्रयत्न करेंगे ।
- 4. यदि वैमानिक प्राधिकारी इस अनुकेद के पैरा 2 के अधीन उन्हें प्रस्तुत किए गए किसी टैरिफ के अनुमोदन पर या पैरा 3 के अन्तर्गत किसी टैरिफ के निर्धारण के सम्बन्ध में सहमत न हो सके तो विवाद को इस करार के अनुकेद XV के उपबन्धों के अनुसार तय करने के लिये सीवदाकारी पक्षों को मेज दिया जाएगा।
- जब तक इस अनुकोद के उपबन्धों के अनुसार नर टैरिफ
 स्थापित नहीं हो जारंगे तब तक इस अनुकोद के उपबन्धों के अनुसार स्थापित
 टैरिफ लागू रहेंगे ।

अनुकेद XIII

परस्पर घनिष्ठ सहयोग की भावना से, दोनों सविदाकारी पद्यों के वैमानिक प्राधिकारी प्रस्तुत करार की प्रयोज्यता तथा अर्थीनर्वचन के सम्बन्ध में नियमित रूप से विचारों का आदान-प्रदान करते रहेंगे।

अनुकोद XIV

दोनों में से कोई भी सिवदाकारी पक्ष वर्तमान करार में कोई संशोधन करवाने के उद्देश्य से विचार-विमर्श का अनुरोध कर सकता है। यदि दोनों में कोई भी सिवदाकारी पक्ष यह समझे कि अनुखेद XIII के आश्चय के अनुसार विचार-वितिमय में सफलता नहीं मिली तो वर्तमान करार के अर्थ-निर्वचन या उसे लागू करने से सम्बन्धित मामलों पर भी विचार विमर्श का अनुरोध किया जा सकता है। इस प्रकार का विचार-विमर्श अनुरोध की

SI

तारीस से 60 दिन के मीतर आरम्म कर दिया जारगा । इस प्रकार के विचार-विनर्श के परिणामस्वरूप प्रस्तुत करार में किया गया परिवर्तन तभी प्रमावी होगा जब कि आवश्यक संगत साविधानिक कार्रवाइया पूरी हो जार और जब राजनियक पत्रों के विनिमय द्वारा उसकी पुष्टि कर दी जार ।

अनुक्छेद XV

अगर वर्तमान करार के अर्थ करने या इसके लागू करने के सम्बन्ध में कोई झगड़ा उठे तो करार करने वाले पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी ही आपस में बातचीत करके उसे तय करने की कोशिश करेंगे, और यदि ऐसा न हो सके तो विवाद को तय करने के लिए सीवदाकारी पक्षों को ही मेज दिया जाएंगा ।

अनुकेद XVI

अभिसमय के उपबन्ध जहां तक कि वे प्रस्तुत करार के अन्तर्गत स्थापित की गयी हवाई सेवाओं के बारे में लागू होते है, अपने वर्तमान रूप में सिवदाकारी पक्षों के बीच करार की अविध में करार के अभिन्न अंग के रूप में तब तक लागू रहेंगे जब तक कि दोनों सिवदाकारी पक्ष अभिसमय के किसी ऐसे संशोधन का अनुसमर्थन न कर दें जो विधिवत् लागू कर दिया गया हो और तब ऐसी स्थित में अभिसमय अपने संशोधित रूप में प्रस्तुत करार की अविध में लागू रहेगा।

2. 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागों में इस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अन्तर्राष्ट्रीय इवाई सेवा पारगमन करार को मारिशस सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने तक, इसके उपबन्ध इस प्रकार से लागू होंगे जैसे दो सीवदा-कारी पक्षों के बीच लागू होते हैं और जैसे कि मारिशस सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पारगमन करार को स्वीकार कर लिया है।

अनुकोद XVII

प्रस्तुत करार का अनुबन्ध करार का ही और माना जारगा और सिवाय उस स्थिति के जिसमें अन्यया स्पष्टतः उपवन्धित कर लिया गया हो करार के सम्बन्ध में जो भी उल्लेख किए जारंगे उनमें अनुबन्ध का उल्लेख भी सिम्मिलित होगा ।

SA

- 2. प्रस्तुत करार का अनुसमर्थन आवश्यक होगा और अनुसमर्थन-लिखितों का विनिमय यथाशीप्र किया जारुगा ।
- प्रस्तुत क्रार अनुसमर्थन-निवितों के विनिमय की तारीख से लागू होगा ।

अनुकेद XVIII

कोई भी सीवदाकारी पत्न दूसरे पत्न को किसी भी समय यह लिखित नोटिस दे सकता है कि वह वर्तमान करार को समाप्त करना चाहता है । इस प्रकार का नोटिस साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेजा जाएगा । यदि इस प्रकार का नोटिस दिया जाए तो करार को समाप्त करने का नोटिस जिस तारीस को दूसरे सीवदाकारी पत्न को प्राप्त हो उसके बारह महीने बाद वर्तमान करार समाप्त हो जाएगा । किन्तु, यदि इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही परस्पर सहमति से नोटिस वापस ले लिया जाए, तो यह करार समाप्त नहीं होगा । यदि दूसरे सीवदाकारी पत्न से प्राप्ति-सूचना न मिले, तो अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को यह नोटिस मिलने के चौदह दिनों बाद वह उस पत्न को मिल गया मान लिया जाएगा ।

आज दिनांक 8 माघ, 1893 शक संवत् तदनुसार 28 जनवरी, 1972 ई0 को नई दिल्ली में चार मूल प्रतियों पर, जिनमें हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में से प्रत्येक की दो-दो प्रतियाँ है और जो चारों पाठ समान रूप से प्रामाणिक है, इस्ताबर किए गए। यदि अर्थ-निर्वचन के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो अंग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक माने जाएंगे।

कृते भारत सरकार

कृते मारिशस सरकार



सण्ड I

मारिशस सरकार द्वारा नामित हवाई कम्पनी को इस सण्ड में उिल्लिखित मार्गी पर दोनों दिशाओं में हवाई सेवार परिचालित करने और इस सण्ड में बतार गर भारत के भू-भाग के स्थलों पर यातायात प्रयोजनों के लिए उत्तरने का अधिकार होगा :-

> मारिशस, बीच के तीन स्थानों से होकर, कोलम्बों से बंबई और यदि अमीष्ट हो तो परस्पर सहमति द्वारा आगे के स्थान ।

खण्ड II

भारत सरकार द्वारा नामित हवाई कम्पनी को इस खण्ड में उल्लिखित मार्गों पर दोनों दिशाओं में हवाई सेवार परिचालित करने और इस खण्ड में बतार गर गारिशस के भू-भाग के स्थलों पर यातायत प्रयोजनों के लिए उत्तरने का अधिकार होगा :-

> भारत, कोलम्बो के गार्ग से बीच के तीन अन्य स्थानों से होकर मारिशस और यदि अभीष्ट हो तो परस्पर सहमति द्वारा आगे के स्थान ।

तण्ड III

किसी भी निर्दिष्ट भार्ग पर कोई भी स्थान नामित हवाई कम्पनी की इच्छा से किसी अथवा सभी उड़ानों पर छोड़े जा सकते हैं।

St.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS RELATING TO AIR SERVICES

The Covernment of India and the Covernment of Mauritius hereinafter described as the "Contracting. Parties";

BEING parties to the Convention on International Civil Aviation (hereinafter described as "the Convention") opened for signature at Chicago on the 7th December, 1944;

AND desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories,

HAVE AGREED as follows :-

ARTICLE I

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires -

shall mean, in the case of Mauritius, the Ministry charged with responsibility for Civil Aviation and in the case of India, the Director General of Civil Aviation and in both cases any person or body authorised to perform the functions presently exercised by the said Ministry or by the said Director General;

A. S.

- b) the term "designated airline" shall
 mean an airline which the aeronautical authorities of one Contracting
 Party have designated in writing to
 the aeronautical authorities of the
 other Contracting Party, in accordance
 with Article III of the present
 Agreement;
- c) the terms "territory", "air services",

 "international air service" and "stop

 for non-traffic purposes" have the

 meanings respectively assigned to

 them in Articles 2 and 96 of the

 Convention.

ARTICLE II

Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the route specified in the Annex thereto (hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes"). The agreed services may be inaugurated at any time after the provisions of Article III have been complied with.

- 2. Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights -
 - (a) to fly without landing across the

I sk

territory of the other Contracting

- (b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for nontraffic purposes; and
- a specified route, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the point specified for that route in the Annex to the present Agreement, for the purpose of putting down or taking on international traffic in passengers, cargo and mail, originating in or destined for the territory of the first Contracting Party or of a third country.
- 3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail destined for another point in the territory of that other Contracting Party.
- The laws, regulations and instructions of one Contracting Party, relating to entry into or departure from its territory, of aircraft or air services operated in international air navigation or to the operation of such aircraft or air services while within its territory shall apply to aircraft and

en

agreed services of the designated airline of the other Contracting Party.

ARTICLE III

Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

- 2. On receipt of the designation, the Contracting Party shall, through its own aeronautical authorities and subject to the provisions of paragraphs 3 and
 4 of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate authorisation.
- The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied by them to the operations of air carriers and of international commercial air services.
- to refuse to accept the designation of the airline or to withhold the grant to the airline of the rights specified in paragraph 2 of Article II of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those rights in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the other Contracting Party or its

Sh

nationals. For the purpose of this paragraph, the expression "substantial ownership and effective control" means that in any case where the designated airlines operate their services under this Agreement by entering into any agreement with the airline of any other country or the Government or nationals of any other country, the Contracting Party designating the airlines or its nationals shall not be deemed to have substantial ownership and effective control of the designated airlines, unless the Contracting Party or its nationals, in addition to the ownership of the major part of the assets of the designated airlines, have also

- effective control in the management of the designated airlines, and
- ii) ownership and effective control of the major part of the fleet of aircraft and equipment used in the operation of the services.
- 5. The airline so designated and authorised may begin to operate the agreed services at any time provided that the provisions of Article X and XII have been complied with.

ARTICLE IV

Each Contracting Party reserves the right to itself to revoke the operating authorisation or impose such appropriate conditions as it may deem necessary in case of failure by a designated airline of the other

11. St.

Party to comply with the laws and regulations of the former Party, or in case, in the judgement of the former party there is a failure to fulfil the conditions under which the rights are granted in accordance with the present Agreement. This shall also apply if the provisions of paragraph 4 of Article III are not complied with. Such action shall be taken only after consultation between the Contracting Parties in accordance with Article XIV of the present Agreement unless an immediate suspension of operations or imposition of conditions is necessary to avoid further infringements of laws, regulations or provisions of the present Agreement.

ARTICLE V

The charges imposed in the territory of one Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party shall not be higher than those paid by the aircraft of a national airline engaged in similar international air services.

ARTICLE VI

Supplies of fuel, lubricating oils, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced into or taken on board aircraft of the designated airline of one Contracting Party and intended solely for use by or in such aircraft and remaining on board on departure from the last airport of call in that territory shall be accorded, with respect to customs duty,

Il se

inspection fees or similar charges, treatment not less favourable than that granted by the second Contracting Party to the national airlines operating scheduled international air services or to the airline of the most favoured nation:

Provided that neither Contracting Party shall be obliged to grant to the designated airline of the other Contracting Party exemption or remission of customs duty, inspection fees or similar charges unless such other Contracting Party grants exemption or remission of such charges to the designated airline of the first Contracting Party.

ARTICLE VII

The designated airline of each Contracting
Party shall, in all respects, enjoy fair and equal
opportunity for the carriage of international traffic
between and beyond the territories of the two Parties.

ARTICLE VIII

In the operation by the designated airline of either Contracting Party of the agreed air services the interests of the designated airline of the other Party shall be taken into consideration so as not to affect unduly the services which the latter provides on all or part of the same route.

ARTICLE IX

The capacity to be provided, the frequency

A Sh

vice that is, transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party shall be agreed between designated airlines in accordance with the principles laid down in Articles VII and VIII and the provisions of this Article. Such agreement shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.

- Any increase in the capacity to be provided or frequency of services to be operated by the designated airline of either Contracting Party shall be agreed, in the first instance, between the designated airlines and shall be subject to the approval of the aeronautical authorities on the basis of the estimated requirements of traffic between the territories of the two Parties and any other traffic to be jointly agreed and determined. Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.
- 3. If the designated airlines of the Contracting Parties fail to agree on any matter on which their
 agreement is required under the provisions of this
 Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to reach agreement thereon.
- 4. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service, that is, transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party as agreed to in accordance with the provisions of this Article

SA

shall be specified in an exchange of letters between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE X

Each Contracting Party shall cause its

designated airline to communicate to the aeronautical
authorities of the other Contracting Party, as long in
advance as practicable, prior to the inauguration of
the agreed services, the type of service, the type of
aircraft to be used, the flight schedules, tariff
schedules, and all other relevant information concerning the operation of the agreed services including such
information as may be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of the present
Agreement are being duly observed. The requirements
of this Article shall likewise apply to any changes
concerning the agreed services.

ARTICLE XI

The aeronautical authorities of each Contracting Party shall furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried during each month on their air services to or from or through the territory of the other Contracting Party showing the countries of origin and destination and the points of embarkation and disembarkation of such traffic. Such statistics shall be furnished as early as possible.

1. so

ARTICLE XII

The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

- The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned, and such agreement shall wherever possible, be reached through the rate-fixing machinery of the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.
- any of these tariffs, or if for some reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provision of paragraph 2 of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.
- 4. If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 2 of this Article on the determination of any

..../11

SA

tariff under paragraph 3 the matter shall be referred to the Contracting Parties for settlement in accordance with the provisions of Article XV of the present Agreement.

5. Pending determination of the tariffs in accordance with the provisions of this Article, the tariffs already in force shall prevail.

ARTICLE XIII

In a spirit of close collaboration, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall exchange views regularly on the application and interpretation of the present Agreement.

ARTICLE XIV

Consultations may be requested at any time
by either Contracting Party for the purpose of initiating any amendments to the present Agreement. Consultation may also be required on matters concerning the
interpretation and application of the present Agreement
if either Contracting Farty considers that an exchange
of views within the meaning of Article XIII has been
without success. Such consultation shall begin within
a period of sixty days from the date of the request.
Any modification of the present Agreement as a result
of such consultations shall come into effect after the
respective constitutional requirements have been fulfilled and when it has been confirmed by an exchange
of diplomatic notes.

1 1

ARTICLE XV

If any dispute arises relating to the interpretation or application of the present Agreement the
aeronautical authorities of the Contracting Parties
shall endeavour to settle it by negotiations between
themselves, failing which the dispute shall be referred
to the Contracting Parties for settlement.

ARTICLE XVI

To the extent to which they are applicable to the air services established under the present Agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the Agreement, as if they were an integral part of the Agreement, unless both Contracting Parties ratify any amendment to the Convention, which shall have duly come into force in which case the Convention as amended shall remain in force for the duration of the present Agreement.

Pending adherence of the Government of Mauritius to the International Air Services Transit Agreement opened for signature at Chicago on the 7th December, 1944, the provisions thereof shall apply as between the Contracting Parties as if the Government of Mauritius has adhered to the International Air Services Transit Agreement.

..../13

I sk

ARTICLE XVII

The Annex to the present Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to the Agreement shall include references to the Annex, except where otherwise expressly provided.

- 2. The present Agreement shall be subject to ratification and instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.
- The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

ARTICLE XVIII

give written notice to the other, of its desire to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt

..../14

11. 3/2

of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

DONE at New Delhi this 8th day of Magha, 1893 Saka Era, corresponding to the 28th day of January, 1972 A.D. in four originals two each in the Hindi and English Languages, all the four texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of

For the Government of MAURITIUS

ANNEX

Section I

The airline designated by the Government of Mauritius shall be entitled to operate air services in both directions on the route specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of India at the point therein specified.

Mauritius, via three intermediate points, Colombo to Bombay and if desired to points beyond to be agreed.

Section II

The airline designated by the Government of India shall be entitled to operate air services in both directions on the route specified in this section and to land for traffic purposes in the territory of Mauritius at the point therein specified.

India via Colombo, three other intermediate points to Mauritius and if desired to points beyond to be agreed.

Section III

Points on any of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights.

#